<u>न्यायालय जनपद न्यायाधीश,बहराइच।</u>

प्रकीर्ण सिविल वाद संख्या–42/2026

महेन्द्र प्रताप यादव बनाम गया प्रसाद आदि।

CNR NO.UPBH010011322026

<u>15.04.2026</u>

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। सुना एवं अभिलेखों का सम्यक् अवलोकन किया। विपक्षीगण को तामीला हेतु नोटिस प्रेषित की गई, जो जरिये वारिसान तामील हुई, किन्तु विपक्षीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। विपक्षीगण पर तामीला पर्याप्त माना जा चुका है।

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र आवेदक महेन्द्र प्रताप यादव की तरफ से इस आधार पर प्रस्तुत किया गया है कि सामान्य वाद संख्या–1185/2025, महेन्द्र प्रताप यादव प्रति गया प्रसाद आदि, न्यायालय सिविल जज(अवर खण्ड), बहराइच में विचारधीन है, जिसमें उभय पक्ष उपस्थित हैं और प्रकरण प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा ग–8 के निस्तारण हेतु नियत होता चला आ रहा था कि दिनांक–16.02.2026 को सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष वह उपस्थित हुआ, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने कार्य की अधिकता व न्यायालय के अत्यधिक व्यस्त होने का हवाला देकर अगली नियत पेशी 17.04.2026 को वास्ते सुनवाई प्रार्थना–पत्र ग–6 व जवाबुल जवाब नियत कर दिया। उसका उक्त सिविल वाद दावा निरस्तीकरण दान–पत्र व हुकुम इम्तिनाई का है, जिसमें प्रार्थना–पत्र ग–6 का शीघ्र निस्तारण होना अति आवश्यक है। वह इसके पूर्व भी पीठासीन अधिकारी से प्रार्थना–पत्र ग–6 के निस्तारण हेतु कई बार याचना कर चुका है। न्यायालय ने कार्य की अधिकता व व्यस्तता का हवाला देकर प्रकरण सुनवाई की अगली नियत पेशी के लिये टाल दिया और अग्रिम नियत पेशी दिनांक–17.04.2026 को नियत हो गई। प्रकरण में अतिशीघ्र सुनवाई किया जाना आवश्यक है। उपरोक्त कथनों के आधार पर याचना की गई कि न्यायालय सिविल जज(अवर खण्ड), बहराइच में लम्बित सामान्य वाद संख्या–1185/2025, महेन्द्र प्रताप यादव प्रति गया प्रसाद आदि को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाये। अन्तरण प्रार्थना–पत्र स्वयं के शपथ–पत्र 4–ग से समर्थित है।

विपक्षीगण की ओर से नोटिस तामीला के बावजूद भी कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही उनकी ओर से कोई लिखित या मौखिक आपत्ति प्रस्तुत की गई।

सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी की आख्या पत्रावली में संलग्न हैं, जिसके अनुसार सिविल सूट संख्या–1185/2025, महेन्द्र प्रताप बनाम गया प्रसाद आदि की पत्रावली सर्वप्रथम दिनांक–16.02.2026 को पेश हुई, जिसमें वादी के विद्वान अधिवक्ता अनुपस्थित तथा प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। तदोपरान्त वादी को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए पत्रावली में अग्रिम तिथि दिनाँक–17.04.2026 वास्ते जवाबुलजवाब वादी नियत की गई।

आवेदक द्वारा अन्तरण प्रार्थना–पत्र में सम्बन्धित न्यायालय द्वारा कार्य की अधिकता व व्यस्तता का हवाला देकर प्रकरण सुनवाई की अग्रिम नियत पेशी के लिये टाल दिये जाने का कथन किया है, जबकि सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा अपनी आख्या में लगाये गये आक्षेप को मिथ्या, भ्रामक व निराधार होना तथा पत्रावली जवाबुलजवाब वादी हेतु नियत होना उल्लखित किया गया है। ऐसी स्थिति में आवेदक महेन्द्र प्रताप यादव द्वारा प्रस्तुत 3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

Digitally signed by RAJESH KUMAR SINGH
Date: 2026.04.15 16:34:58 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

<u>आदेश</u>

3–ग अन्तरण प्रार्थना–पत्र निरस्त किया जाता है। सम्बन्धित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वे प्रस्तुत मामले में निकट की तिथियां नियत करके जवाबुलजवाब व अन्य कार्यवाहियां पूर्णकर शीघ्रातिशीघ्र प्रार्थना–पत्र ग–6 का निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करें।

उभय पक्ष न्यायालय सिविल जज(अवर खण्ड), बहराइच में उक्त वाद की सुनवाई हेतु दिनांक–17.04.2026 को उपस्थित हों।

(राजेश कुमार सिंह)
जनपद न्यायाधीश, बहराइच।
Id No.–UP2017

दिनाँकः 15.04.2026